

कार्यालय प्राचार्य उज्जैन पोलिटेकनिक महाविद्यालय उज्जैन

संक्र०	योजना का नाम	जाति	स्वीकृति की प्रक्रिया
1	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	पिछडा वर्ग	संस्था द्वारा ऑन-लाईन छात्रवृत्ति आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा भुगतान हेतु स्वीकृत प्रोपोजल संबंधित विभाग पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग उज्जैन को भेजे जाते हैं।
		अनु०जाति	संस्था द्वारा ऑन-लाईन छात्रवृत्ति आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा भुगतान हेतु स्वीकृत प्रोपोजल संबंधित विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग उज्जैन, को भेजे जाते हैं।
		अनु०जनजाति	संस्था द्वारा ऑन-लाईन छात्रवृत्ति आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा भुगतान हेतु स्वीकृत प्रोपोजल संबंधित विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग उज्जैन, को भेजे जाते हैं।
2	मुख्यमंत्री जन कल्याण (निशुल्क शिक्षा प्रोत्साहन) संबल योजना	जिनका संबल कार्ड माता या पिता के नाम से बना हो सभी जाति के छात्र	संस्था द्वारा आवेदन को स्वीकृत किया जाता है, शासन द्वारा फीस राशि की प्रतिपूर्ति संस्था को की जाती है।
4	अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक योजना	अल्पसंख्यक से संबंधित छात्र	संस्था द्वारा आवेदन को ऑन-लाईन स्वीकृत किया जाता है। अग्रेषण के उपरांत केन्द्रीय शासन द्वारा सीधे छात्रों के खाते में भुगतान किया जाता है।